



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.960

मद/For Item : “एन पी ई-3 के रबड सीलिंग रिंग(पार्ट सं.0257623)”
Rubber Sealing Ring of NPE-3 (PART No. 0257623)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स पोलिमर एंटरप्राइज़, ई-41, एम.आई.डी.सी, सतपुर, नासिक-422 007 द्वारा उत्पादित “रबड सीलिंग रिंग(पार्ट सं.0257623)” जो कि एनपीई-3 नाइट्राइल बेस रबड कम्पाउंड (टीए सं.764) से विकसित हुआ है और मिग वायुयान के आर11 और आर25 सीरीस इंजन्स के फ्यूल अक्सेसरीस में काम आते हैं, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे एच ए एल कोरापुट प्रभाग में आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेढा के समन्वय से टेस्ट विनिर्देश संख्या टीएस/454-2000 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ‘ए’ में संलग्न “वर्गरिकार्ड कंप्लान्स स्टेटमेन्ट” में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the “Rubber sealing ring (Part No. 0257623)”, developed from NPE-3 Nitrile base rubber Compound (TA No.764) and manufactured by M/s Polymer Enterprise, E-41, MIDC, Satpur, Nasik-422 007, are hereby approved for production for use on fuel accessories of R 11 & R-25 series engines of MiG aircraft. It has been tested to Test schedule No.TS/454-2000, at HAL Koraput Division, Sunabeda in co-ordination with RCMA (Koraput), Sunabeda. These meet the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix ‘A’.

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीस नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2005 तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट) से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 30th Jun 2005 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Koraput), for subsequent renewal three months before the expiry of type approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट'-ए', /Appendix-'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-960

दिनांक/Date : 15th May 2002

फेक्स सं/Fax No : 080-5230856

(जे.के.शर्मा/J.K SHARMA)

मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)

24/05/02